तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रमेश कुमार बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 86/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रमेश कुमार पुत्र अर्जुनराम निवासी ग्राम मोटानियानगर, मतोड़ा तहसील बापिणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.03.2019 में उसके द्वारा (1) पंजीयन की धारा 41 की पालना किस प्रकार से करवाई जा रही है। इस धारा की पालना आदेश के रजिस्टर की नकल व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 361 दिनांक 30.05.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलकर्त्ता रमेशकुमार द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार तहसीलदार बापिणी के कार्यालय पत्रांक रीडर/सू.अ.अ./ 2019/Spl-1 दिनांक 18.04.19 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा कि सहवन से पूर्व में औसीयां की जगह बापिणी लिखा। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में सूचना प्रेषित की गई वो तहसील कार्यालय औसियां न लिखा जाकर सहवन से बापिणी लिखा गया था तथा अपीलार्थी के कथनानुसार उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील इस स्टेज पर स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुनः प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	